ग्राम पंचायत एरला, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक ,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ,हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत एरला, विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति उमेश कुमारी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री रविन्द्र कुमार	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री लेख राज	2008 से 30-01-14
2.	श्री रणजीत कुमार	01-02-14 से लगातार

{ ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	7	अनुदान राशियों का अवरोधन	6.02
2	8	निर्माण कार्य पर अधिक खर्च बारे	0.06
3	9	औपचरिक्ताओं के बिना खरीद करने बारे	1.41
4	12	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे	1.41

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत एरला , विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है , श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 10-10-2016 से 15-10-2016 तक के दौरान पंचायत कार्यालय में किया गया । आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 01 /14,03/15 व 04/15 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 03/14, 08/14 व 06/15 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मैं अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत एरला, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4000 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 217 दिनांक 15 -10-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत एरला से अनुरोध किया गया ।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत एरला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

{1} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत एरला के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	4556	26665	31221	35735	(-) 4514
2014-15	(-) 4514	43282	38768	28684	10084
2015-16	10084	39179	49263	7745	41518

{2}अनुदान :-ग्राम पंचायत एरला के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट-1** में दिया गया है:-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	94189	3508720	3602909	3373522	229387
2014-15	229387	2563571	2792958	2496477	296481
2015-16	296481	2057928	2354409	1752653	601756

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	**बैंक का नाम**	**खाता खाता सं**	**राशि**
1.	KCCB BADOH	20057012863	632074
2.	KCCB BADOH	50055878897	11062
		हस्तगत राशि	138
		कुल जमा राशि	**643274**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 643274

(ख)दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (1+2) :- ₹643274

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते }नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता -क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह, नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता -ख जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जो की अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता -क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये

5.1 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

6 गृह-कर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत , गृहकर, इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवयशक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में गृह-कर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । जोकि एक गम्भीर मामला है। अत: पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये ।

7 अनुदान ₹ 6.02 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹601756 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 214 दिनांक 15-10-16 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत एरला को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत एरला द्वारा कोई

उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

8 निर्माण कार्यो पर ₹ 0.06 लाख अधिक खर्च करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि में मनरेगा निधि से किए गए निर्माण कार्यों पर रेत, बजरी की खरीद व माप पुस्तिका अनुसार प्रयोग के तुलनात्मक जाँच करने पर से ₹ 5976 अधिक खर्च किए गए जबकि बकाया शेष रेत व बजरी को किसी अन्य कार्य पर भी प्रयोग नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर मामला है। लेखा परीक्षा आपत्ति उठाने पर ग्राम पंचायत एरला द्वारा निम्नलिखित अधिक खर्च राशि को रसीद संख्या :- 0 88736 दिनांक 15-10-16 को अंकेक्षण के दौरान जमा करवा दी गई है जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। भविष्य में निर्माण कार्यों में प्रयोग सामग्री अनुसार ही निर्माण कार्यों पर व्यय की जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए ।

क्रम	**वर्ष**	**निर्माण कार्य का नाम**	**माप पुस्तिका व पृष्ठ**	**इस कार्य हेतु खरीदी रेत,बजरी**	**माप पुस्तिका अनुसार प्रयोग रेत बजरी**	**अधिक खर्च**
1.	2013 -14	सम्पर्क मार्ग चमेल सिंह के घर से जगदीश के घर तक	6756 पृष्ठ 52 से 54	23120	18400	4720
2.	2013-14	राज कुमार की जमीन में तालाब का निर्माण	6756 पृष्ठ 56 से 58	13200	11944	1256
					कुल जोड़	**₹ 5976**

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.41 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹141365 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण

अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या:215 दिनांक 15-10-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत एरला को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत एरला द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10 क्रय की गई ₹ 1.41 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण , भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर ₹1.41 लाख की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 215 दिनांक 15-10-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत एरला को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत एरला द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी । अत: सामग्री प्राप्ति व उपयोग का अभिलेख पूर्ण आगामी ले खा परीक्षण से जांच हेतु प्रस्तुत किया जाये अन्यथा राशि उचित स्त्रोत से वसूल की जाये।

11 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :- 216 दिनांक 15-10-16 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत

एरला को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत एरला द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**	**फार्म न०**	**संदर्भित नियम**
1.	गृह-कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
2.	मोबाइल टाबर रजिस्टर		
3.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर		
4.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
5.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
7.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर	21	61(1)
8.	खाताबही	7	29 (1)
9.	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र की माप पुस्तिका		

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है ,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 विविध अनियमितताएं:-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।

14 **लघु-आपति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

15 **निष्कर्ष**:- लेखों के रख-रखाव में उचित सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है ।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 61/2016–खण्ड–1–1580–1583 दिनाँक :09.03.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत एरला़, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.